पत्रांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018................................../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इबरार अहमद खाँ भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **'बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत'' बेगूसराय जिलान्तर्गत, अंचल– तेघड़ा, मौजा– खिजीरचक वक्फ की भूमि पर 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5067.60 लाख (पचास करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि ₹990.00 लाख (नौ करोड़ नब्बे लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का निर्माण किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रो यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढाया जा सके।

2. " बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत, बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल– तेघडा के मौजा– खिजीरचक (वक्फ इस्टेट संख्या–67) थाना संख्या–398, तौजी संख्या–5096, खाता संख्या–01/51, खेसरा संख्या–56, 78 एवं 79, रकबा– 05 एकड में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्यकारी एंजेंसी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate 2023) के आधार पर संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5067.60 लाख (पचास करोड सडसठ लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक इस योजना हेतु कुल राशि ₹2500.00 लाख निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। विषयांकित योजना के निर्माण हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹990.00 लाख (नौ करोड नब्बे लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि मांग सं०– 30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष– 4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष– 04–अल्पसंख्यको का कल्याण, लघु शीर्ष– 051–निर्माण– समूह शीर्ष– राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष–0105–अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं०–30–4225040510105, विस्तृत शीर्ष– 53–मुख्य निर्माण कार्य एवं वस्तुगत शीर्ष–01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4 वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त राशि ₹990.00 लाख (नौ करोड नब्बे लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से बी०टी०सी० फॉर्म 40 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता संख्या–PBBPLA005, LEDGER ID- 3847 में अंतरण करेंगे। तत्पश्चात् CFMS जनित चालान टी०वी० सहित कार्यकारी एजेंसी एवं प्रशाखा–11 (आवासीय विद्यालय) को उपलब्ध करायेंगे।

5 उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

6. कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लि०, पटना उक्त राशि के व्यय के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. इस राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–441, दिनांक–23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानो/मार्गनिर्देशिका के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

8 योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभाग के पत्रांक–4989 वि०(2), दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना का कार्यान्वयन "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" की मार्ग–निर्देशिका तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्र/परिपत्रों के आधार पर किया जायेगा।

11. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लि०, पटना के क्षेत्रीय कार्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में गति लाने हेतु प्रयासरत रहेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एव परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

13. योजना का क्रियान्वयन मार्ग निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

14. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाता है, जो उसके लिए प्राधिकृत हो।

15. उपरोक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. उपरोक्त पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महालेखाकार कार्यालय, बीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

E-Mail

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018........................../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा–शाखा (दो प्रतियो में), अलपसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–अ०स०क०–07–ख०–एम०–06/2018 251 / पटना, दिनांक 03/08/18

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव